three growth centres at Gandhidham (Kutch), Palanpur (Banasakantha) and Vagra (Bharuch). The Central Government's contribution to each approved centre is Rs. 10 crores. Central assistance is released having regard to the physical and financial progress in the implementation of the Growth Centre.

Under the Integrated Infrastructural Development (IID) Scheme, 1994, Gujarat has been sanctioned one centre in village Miyani, district Junagarh with a project cost of Rs. 5 crores.

मध्य प्रदेश में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु योजनाएं

3858. **श्री अजीत जोगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि की सहायता दी गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मध्य प्रदेश सहित देश में खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। इसके सामान्य कार्यक्रमों के अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 खंडों में 125 खंड विकास कार्यक्रम तथा राज्य के 6 जिलों में जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम भी शुरू किये हैं।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय सहायता के अलावा, खादी तथा पोलीवस्त्र कार्यक्रम के लिए ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर संस्थागत वित्तीय अभिकरणों के जरिये भी धनराशि मुहैया की जाती है जिसके तहत कार्यान्वयन अभिकरण 4% वार्षिक की दर से ब्याज वहन करते हैं और इसके व बैंक दर के बीच के अंतर की पूर्ति खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजसहायता के रूप में की जाती है। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं के आधार पर कंसोर्टियम बैंक ऋण के अंतर्गत भी धनराशि मुहैया की जाती है। परियोजना प्रस्ताव के अंतर्गत 10.00 लाख रु० तक की लागत वाली परियोजना शुरू में बिना ब्याज के 25% सीमांत धन के लिए पात्र होते हैं जो ऋण की पुनर्अदायगी के बाद अनुदान में बदल जाता है। 10.00 लाख रु० से अधिक और 25.00 लाख रु० तक लागत वाली परियोजनाएं प्रथम 10.00 लाख रु० के लिए 25% की दर से और शेष राशि के लिए 10% की दर से सीमांत धन की पात्र होती हैं। पर्वतीय/सीमावर्ती, जनजाति तथा कमजोर वर्ग वाले क्षेत्र, अ०ज०/अ०ज०ज०/अ०पि०व०/अल्प संख्यक/सेमफैक्स-3/महिला लाभ भोगियों के मामलों में, 10.00 लाख रु० तक की परियोजनाएं 30% की दर से सीमांत धन के लिए पात्र हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कुल वितरित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1994-95	203.23	497.36
1995-96	112.07	303.23
1996-97	41.11	455.49

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त राशि के अलावा, सरकार की गारंटी पर बैंक कंसोर्टियम द्वारा स्वीकृत ऋण से के०वी०आई० सी० द्वारा मध्य प्रदेश को 1995-96 के दौरान 891.81 लाख रु० की राशि भी प्रदान की गई थी।

विभिन्न उद्योगों को राजसहायता का प्रावधान

3859. **श्री अजीत जोगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद उद्यमियों को कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु कोई अनुदान भी प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान इस संबंध में मध्य प्रदेश के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितनी राशि दी गई; और

(ङ) सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए औद्योगिक इकाइयां लगाये जाने हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं बनाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Special programmes for rural artisans in minority concentrated districts

3860. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are implementing special programmes for rural artisans under Khadi and Village Industries in minority concentrated districts; and

(b) if so, the details thereof, State-wise?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Keeping in view the recommendations of the High Power Committee for the accelerated growth of KVI programme, KVIC, in addition to its normal programme, has launched special programmes such as 125 Block Development Programme, District Special Employment Programme and national programmes in bee-keeping, handmade paper and leather all over the country including minority concentrated districts.

Facilities provided to Development Centres in Punjab

3861. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) facilities required to be provided at present to the Development Centres in the State of Punjab:

(b) whether the Development Centres in Punjab have not been provided with the necessary facilities;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the names of districts where these centres have not yet been set up in the country indicating the reasons thereof; and

(e) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) The Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) is presently operating the Growth Centre Scheme, 1988 for providing basic infrastructural facilities like power, water, telecommunication and banking in the selected growth centres at a total project cost of Rs. 25-30 crores, of which the share of the Central Government is Rs. 10. crores. The distribution of the Growth Centres was done on the combined criteria of population, area and industrial backwardness. Under the scheme the State of Punjab has been allotted two Growth Centres namely Bhatinda (Bhatinda) and Pathankot (Gurdaspur). Full amount of Central Assistance i.e. Rs. 10 crores has been released to each of them. Ministry of Industry is also operating Integrated Infrastructural Development (IID) Scheme exclusively for SSI sector under which each centre would be provided with land/developed site, roads, power distribution network, water drainage, pollution control facilities, technological back-up services, etc. Under this Scheme Punjab has been sanctioned one centre in village Dhanchala, district Hoshiarpur.

Investment in industrial gases industry

3862. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there has been considerable investment in the industrial gases industry during the last three years;

(b) if so, the details thereof alongwith names of the Indian and foreign companies who made investment therein;

(c) since when these investment were made and the amount invested in terms of dollars and rupees by each company in industrial gases industry;

(d) the production capacity of all these domestic and foreign industrial gas units; and

(e) the net foreign exchange earned by these companies?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) 3 (Three) proposals envisaging Foreign Direct Investment (FDI) of Rs. 114.00 crores, in the industrial gases industry have been approved by Government during the period from January 1994 to February 1997.

The details of such proposals viz, Name and Country of foreign collaborator, equity investment involved, item of manufacture/ activity are published by the Indian Investment